प्रेस नोट

जनपद संकबीरनगर

दिनाँक 22.10.2025

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना धनघटा पुलिस द्वारा अवैध शराब बनाने वालों के विरुद्ध चलाया गया अभियान,

अभियान के दौरान 10 कुंतल लहन किया गया नष्ट

67ली0 अवैध देशी कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना धनघटा पुलिस* द्वारा अवैध शराब निर्माण, बिक्री व परिवहन के सम्बन्ध में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ग्राम भिखारीपुर के घाघरा नदी माझा क्षेत्र में अवैध शराब बनाने वाले कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें 10 कुंतल अवैध लहन को नष्ट करते हुए 67 ली0 अवैध देशी कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 540/25 धारा 274 बीएनएस व धारा 60(1), 60(2) आबकारी अधिनियम।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. रामभवन पुत्र स्व0 बंशीलाल निवासी ग्राम तुर्कवलिया नायक थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः -

1. कुल 67 लीटर अवैध कच्ची शराब।
2. दो अदद स्टील ड्रम नलकी लगा हुआ।
3. नौसादर 250 ग्राम।
4. प्लास्टिक टब एक अदद , तसला एल्युमिनियम एक अदद।
5. युरिया 10 किलोग्राम, गुड़ 04 किलोग्राम, फिटकरी 250 ग्राम, खाली डिब्बा प्लास्टिक 03 अदद।

पुलिस टीम का विवरणः -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जयप्रकाश दूबे, उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, मुख्य आरक्षी सुनील यादव, आ0 मुकेश कुमार, आ0 अभिषेक यादव, आ0 अनिल प्रसाद, आ0 अनिल कुमार साहनी, आ0 रवि चौरसिया, आ0 महेन्द्र निषाद, आ0 रजनीश यादव।

धनघटा पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान 10 कुंतल लहन नष्ट करते हुए 67ली0 अवैध देशी कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी धनघटा द्वारा दी गयी बाईट

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए ट्रैक्टर में लगी चोरी की बैटरी सहित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा ***श्री अरविन्द शर्मा*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा 370/25 धारा धारा 303(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त नाम पता प्रदुम कुमार पुत्र विद्या प्रसाद चौधरी निवासी मझारी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को अभियुक्त के ट्रैक्टर में लगी चोरी के 01 अदद बैटरी के साथ परसा तिराहा से गिरफ्तार कर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) भादवि की बढ़ोत्तरी करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***वादी राधेश्याम पुत्र रामप्रसाद निवासी सिया कटाई बाजार पुरवा थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा दिनाँक 21.10.2025 को थाना दुधारा पर सूचना दिया गया कि 26/27.08.2025 की रात्रि में अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्रैक्टर में लगी बैटरी चोरी कर लिया गया है। उक्त तहरीर के आधार पर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 370/2025 धारा 303(2) बीएनएस अभियोग पंजीकृत कराया गया था*।**

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

प्रदुम कुमार पुत्र विद्या प्रसाद चौधरी निवासी मझारी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण – 01 अदद ट्रैक्टर स्वराज में लगी चोरी की 01 अदद बैटरी।

पूछताछ विवरण-उक्त अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि कुछ दिन पूर्व रात्रि में वादी राधेश्याम पुत्र रामप्रसाद निवासी सिया कटाई बाजार पुरवा थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर के घर के सामने खड़े ट्रैक्टर से बैटरी चोरी कर ली थी। **उक्त प्रकरण संबन्ध में आज दिनाँक 22.10.2025 को पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।**

गिरफ्तारी टीम- उ0नि0 श्री आजम अंसारी, हे0का0 श्री अरविंद यादव, का0 श्री राधेश्याम गिरी।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 25 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6002 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6002 को थाना को0 खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत मलोरना से कालर द्वारा कार व बाईक की टक्कर से दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों (1.दिलीप चौधरी 2.बबलू 3.सिकन्दर निवासीगण ग्राम मलोरना थाना को0 खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियो द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायलों को ईलाज हेतु पीआरवी वाहन एवं 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल ले जाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायलों को ईलाज हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- हे0का0 संतोष पटेल, का0 शनि गुप्ता, आ0चा0 राजनाथ यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 427 वाहनों से 5,25,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

- **मिशन शक्ति फेज 5.0 कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण, एंटीरोमियो अभियान एवं साइबर अपराध सुरक्षा के क्रम में नारी सुरक्षा एंव स्वालंबन के लिए समर्पित जनपद संतकबीरनगर पुलिस द्वारा चलाया गया जागरुकता अभियान।**
- ***महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से पुलिस द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान***
- ***जनपद संत कबीर नगर में मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को किया गया जागरूक***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से जनपद के सभी थानों द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अभियान के अंतर्गत सभी थानों की एंटीरोमियो टीमों द्वारा बाजारों, सार्वजनिक स्थलों पर जाकर बालिकाओं, महिलाओं एवं आमजन को मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जानकारी दी गई, साथ ही महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम व उनके अधिकारों की रक्षा एवं आत्मरक्षा के उपायों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों को महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, चिकित्सा सहायता 108, बाल सहायता नंबर 1098, साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा cybercrime.gov.in पोर्टल की जानकारी देकर इन सेवाओं के उपयोग के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान समस्त थानों पर नियुक्त एंटी रोमियो टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत 01- थाना दुधारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बसड़ीला, चाईकला, मुसरद, देवरिया लाल में उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह, म0हे0का0 चांदनी सिंह, म0का0 आरती सिंह, का0 आनन्द पटेल, का0 रंजन सिंह द्वारा 02- थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मुठही खुर्द में उ0नि0 श्री तूफानी यादव, म0का0 मीरा मिश्रा, म0का0 पूजा गौतम द्वारा 03- थाना महुली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भिटकिनी कला में उ0नि0 श्री नागेन्द्र पाण्डेय, म0हे0का0 पुष्पा यादव, म0का0 रीमा गौड़ द्वारा 04. थाना धर्मसिंहवा क्षेत्रान्तर्गत कस्बा धर्मसिंहवा में म0का0 ममता यादव, म0का0 रिंकी प्रसाद, म0का0 प्रीती शर्मा द्वारा 05- महिला थाना द्वारा मेंहदावल बाईपास व बरदहिया बाजार खलीलाबाद में थानाध्यक्ष महिला थाना पूनम मौर्या, म0का0 नेहा सिंह, म0का0 रानी गौड़ द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया गया।

इस कार्यक्रम में महिला बीट अधिकारियों एवं मिशन शक्ति टीमों ने ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल शैली में संवाद सत्र कर महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं, आत्मरक्षा के उपायों और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गयी और साथ ही महिलाओं से कहा गया कि वे निडर होकर अपनी बात रखें और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाएं।